**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**
**पत्र संख्या–06 / निबंधन–143 / 2024**

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :–

विषय :– **M/S DELTA AUTOCORP PVT. LTD. के वाहन मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S Wuxi Saige Electric Vehicle Technology Co. Ltd. के प्राधिकृत आयातकर्त्ता एवं प्रतिनिधि M/S DELTA AUTOCORP PVT. LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत Ministry of Commerce & Industry Department of commerce, Directorate General of Foreign Trade, नई दिल्ली के परिपत्र सं0–26 (RE-2003)/2002-2007 दिनांक–09.02.2004 के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी Societe Nationale De certification Et D'homologation द्वारा निर्गत Type approval certificate सं0– e13*168/2013*01693*00 एवं CIRT Bill No.- CIRT/24-25/H0034 दिनांक–18.04.2024 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| Sl. No. | Base Model | Variants | T.A.Certificate/ Date | Types of Vehicle | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL9-Plus | ............ | e13*168/2013*01693*00 CIRT/24-25/H0034/18.04.2024 | L3e-A1 | Rs. 1,05,445/- |
| | CS-Plus | | | | Rs. 1,09,626/- |

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध हो।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित व्यापार कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन–4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि, जो विभाग को उपलब्ध कराये गये कीमत के अनुरूप हो एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकीकृत निबंधन की स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. यह अनुमोदन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–870 (अ) दिनांक–13.09.2018 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–RT-11036/82/2017-MVL दिनांक–01.05.2019 से आच्छादित है।

12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–RT-11036/82/2017-MVL दिनांक–01.05.2019 की कंडिका–5 के आलोक में निबंधन प्राधिकार कस्टम ड्यूटी का भुगतान और Directorate General of Foreign Trade (DGFT) से मंजूरी प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे।
13. मोटरयान अधिनियम, 1968 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
14. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– Authorised Signatory : M/S DELTA AUTOCORP PVT. LTD., Plot No. 304P, Pithakiary, Near Toll Tax Jharkhand Road, Paschim Bardhaman, West Bengal-713364 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 164 पटना, दिनांक :– 03/01/2025

प्रतिलिपि :– State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software में प्रविष्टि करने/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02-01-25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**
**पत्र संख्या–06/निबंधन–143/2024** 104

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :– 03/01/2025

विषय :– M/S DELTA AUTOCORP PVT. LTD. **के वाहन मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S Wuxi Saige Electric Vehicle Technology Co. Ltd. के प्राधिकृत आयातकर्त्ता एवं प्रतिनिधि M/S DELTA AUTOCORP PVT. LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत Ministry of Commerce & Industry Department of commerce, Directorate General of Foreign Trade, नई दिल्ली के परिपत्र सं0–26 (RE-2003)/2002-2007 दिनांक–09.02.2004 के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी Societe Nationale De certification Et D'homologation द्वारा निर्गत Type approval certificate सं0– e13*168/2013*01693*00 एवं CIRT Bill No.- CIRT/24-25/H0034 दिनांक–18.04.2024 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| Sl. No. | Base Model | Variants | T.A.Certificate/ Date | Types of Vehicle | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL9-Plus | ............ | e13*168/2013*01693*00 CIRT/24-25/H0034/18.04.2024 | L3e-A1 | Rs. 1,05,445/- |
| | CS-Plus | | | | Rs. 1,09,626/- |

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध हो।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित व्यापार कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन–4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि, जो विभाग को उपलब्ध कराये गये कीमत के अनुरूप हो एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकीकृत निबंधन की स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. यह अनुमोदन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–870 (अ) दिनांक–13.09.2018 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–RT-11036/82/2017-MVL दिनांक–01.05.2019 से आच्छादित है।

12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–RT-11036/82/2017-MVL दिनांक–01.05.2019 की कंडिका–5 के आलोक में निबंधन प्राधिकार कस्टम ड्यूटी का भुगतान और Directorate General of Foreign Trade (DGFT) से मंजूरी प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे।
13. मोटरयान अधिनियम, 1968 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
14. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

02-01-25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना